L.C Appeal No- 03/2018

दिलीप मंडल

बनाम

कंचन कुमार मंडल एवं अन्य

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
15.12.20	यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के न्यायालय के एल0सी0 वाद सं0–01/2017(दिलीप मंडल बनाम कंचन कुमार मंडल एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.4.2018 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। वाद का सार यह है कि विपक्षी सं0–3(डॉ0अम्बिका प्रसाद मंडल) द्वारा विपक्षी सं0–1(कंचन कुमार मंडल) एवं विपक्षी सं0–2(रंजन कुमार मंडल) को दलील संख्या–3953 दिनांक 25.10.2016 के माध्यम से मौजा–टीटीचापुड़ी मौजा नं0–147 खाता सं0–47, प्लॉट सं0–242 रकवा–16.33डी0 भूमि की विकय किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा–16(3) के अंतर्गत अग्रकय अधिकार के दावा से संबंधित है। सर्वप्रथम विपक्षी को पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी दृष्टिकोण से गलत एवं चलने योग्य नहीं है। उनके द्वारा पारित आदेश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूमि विकेता एवं अपीलार्थी के पिता की संयुक्त कय भूमि है। गत सर्वे खतियान में प्रश्गनत भूमि का किस्म स्पष्ट रूप से कृषि योग्य अंकित है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं विकेता के संयुक्त कय भूमि के सह–हिस्सेदार एवं कृषि योग्य भूमि का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन किये बिना प्लॉट सं0–242 के प्रकृति बदल जाने का उल्लेख कर आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के सह–हिस्सेदार है एवं भूमि का किस्म कृषि योग्य है। अतएव उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूमि के अग्रकय के दावा स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। उनके	

Scanned with CamScanner

द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के विरूद्ध इस न्यायालय में एल.सी0अपील सं0–08/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.8.17 द्वारा प्रश्नगत भूमि की यथोचित जांचोपरांत विधि अनुकुल आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। तत्पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जांच एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 18.4.2018 को पारित आदेश में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया । स्थल निरीक्षण के कम में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य नहीं पाया गया तथा प्रश्नगत भूमि पूर्व से आवास हेतु कई टुकड़े में विभक्त है। शेष बचे भूमि कृषि योग्य नहीं है। विपक्षी–3 द्वारा विपक्षी संख्या–1 एवं 2 को दलील संख्या–3953 दिनांक 25.10.16 द्वारा प्रश्नगत भूमि विकय किया गया है। जबकि उक्त प्लॉट की भूमि सह–हिस्सेदार द्वारा पूर्व में भी दलील संख्या–9595 दिनांक 7.8.09 द्वारा विकय किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि कई टुकडे में बिकय होकर उनके प्रकृति एवं किस्म वर्त्तमान में बदल चुका है। प्रश्नगत दलील के पृष्ठ संख्या–2 में स्पष्ट रूप से उक्त भूमि आवासीय अंकित है। उक्त अधिनियम कृषि भूमि को टुकड़ों से बचाने हेतु लागू होता है। आवेदक एक बडे कृषक परिवार के है जिसकी भूमि सिलिंक क्षेत्र अंतर्गत है एवं Land Ceiling case no. 01/1975-76 में दिनांक 30.12.93 को आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध माननीय उपायुक्त , धनबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद अनुसार अपीलार्थी अन्य भूमि प्राप्त करने से वर्जित है। उनका कहना है निम्न न्यायालय द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया गया है। अतएव उन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के दलील संख्या–3953 दिनांक 25.10.16 द्वारा हस्तांतरण के विरूद्ध झारखण्ड भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा–16(3) के तहत अग्रकय के हकदार होने का दावा किया जा रहा है। जबकि उक्त अधिनियम के लाभ हेतु दावाकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि के आसन्नवर्ती अथवा सह–हिस्सेदार एवं भूमि के किस्म कृषि योग्य

Scanned with CamScanner

होना आवश्यक है। दलील में प्रश्नगत भूमि आवासीय अंकित है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि प्रश्नगत भूमि के एक ओर यादव चन्द्र मंडल के बडे भाई प्राण किष्टो मंडल वगैरह की सम्पति अवस्थित है तथा दूसरी ओर कमशः गोपाल मंडल, कैलाश मंडल, अशोक मंडल, कंचन मंडल का अलग–अलग चहारदिवारी, घर, झोपड़ी अच्छादित सम्पति अवस्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के एक ओर पूर्व से आवास एवं झोपड़ी बना कर लोग वास करते है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य न होकर आवासीय है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.4.2018 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/12/20

समाहर्त्ता,धनबाद।

15/12/20

समाहर्त्ता, धनबाद।

Scanned with CamScanner